न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर।

SC/ST Case No-269/2017

सरकार

बनाम

ध्रुव राय वगैरह

[बक्सर (मु0) थानाकाण्ड सं0–189/2017]

26.06.2021 आवेदक/अभियुक्तगण ध्रुव राय, सुरेन्द्र राय, भैरव उर्फ सर्वजीत राय उर्फ रंजीत कुमार राय, डब्लु राय उर्फ अरूण कुमार राय, पंकज कुमार राय, सोनू राय एवं बहादुर राय की ओर से प्रस्तुत आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन, संदर्भित बक्सर (मु0) थानाकाण्ड सं0–189/2017, अन्तर्गत धारा **302, 201/34** भा0दं0वि0 एवं **3(2)(va)** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–2015 पर आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री कृपाशंकर राय एवं विपक्षी विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्री शिवकुमार राम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण पूर्णत्या निर्दोष हैं और उन्हें प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया था, जो खारिज किया जा चुका है और उसके पश्चात् कोई नियमित जमानत आवेदन पूर्व में न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधानोपरांत अंतिम प्रपत्र आवेदकगण को निर्दोष दर्शाते हुए समर्पित किया गया है तथा स्वयं सूचक एवं साक्षीगण ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शपथ–पत्र देकर आवेदकगण की निर्दोषिता के संबंध में कथन किया है एवं सूचक ने आवेदन देकर अभिकथन किया है कि वह मामले में प्रतिवाद नहीं करना चाहता है और अंतिम प्रपत्र स्वीकृत कर वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाए। आवेदकगण के विरुद्ध कोई विधिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। आवेदकगण ने स्वयं मामले में आत्मसमर्पण किया है और न्यायालय के आदेश को मानने के लिए वचनबद्ध है, ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन उपरोक्त का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध जमीनी विवाद को लेकर रात्रि में कथित घटना दिनांक को वादी के पिता की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिये जाने का अभियोग है। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रस्तुत मामले में अनुसंधानोपरान्त आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त को अनुप्रेषित दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है, किन्तु न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरुद्ध मामले का संज्ञान लिया गया है, ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण की जमानत खारिज किया जाए।

वादी सूर्य बिहारी राम पिता स्व0 गुलाब राम, साकिन लक्ष्मीपुर (कृतपुरा) थाना बक्सर मुफस्सिल, जिला बक्सर के लिखित आवेदन के आधार पर प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी उपरोक्त धाराओं में पंजीकृत की गई है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक के मृतक पिता स्व0 गुलाब राम ने घटना के दो वर्ष पूर्व जमीन संतोष साह से रजिस्टरी केबाला खरीद किया था और ग्राम कृतपुरा के ध्रुव राय पेसर इन्द्रदेव राय, सुरेन्द्र राय पेसर स्व0 वंशी राय वगैरह

लगातार :–

लगातार :–

26.06.2021 जबरदस्ती उस जमीन में लगी डाड को उखाड़ कर फेंक दिया और बोले कि इस जमीन को उन्होंने पूर्व में लिया है। इस बात की सूचना सूचक के पिता ने अनुसूचित जाति थाना व बक्सर मुफस्सिल को दिया, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 23.08.2017 को रात्रि करीब 02:00 बजे ध्रुव राय पेसर स्व0 इन्द्रदेव राय, सुरेन्द्र राय पेसर स्व0 वंशी राय, भैरव उर्फ रंजीत कुमार राय पेसर ध्रुव राय, डबलु राय उर्फ अरूण कुमार राय पेसर सुरेन्द्र राय, पंकज कुमार राय पेसर स्व0 विंध्याचल राय, बहादुर राय पेसर इन्द्रदेव राय, सोनू राय पेसर अनिल राय, सभी साकिन कृतपुरा, थाना बक्सर मुफस्सिल, जिला बक्सर सूचक के दरवाजे पर आये और ध्रुव राय ने सूचक के पिता की बॉह पकड़कर खींच लिया और धक्का देते हुए लेकर चले गये। आवाज सुनकर सूचक टार्च की रोशनी में उक्त सभी लोगों को पहचाना, तभी सुरेन्द्र राय बंदूक का भय दिखाकर बोला कि हल्ला करोगे तो जान से मार देंगे। उक्त सभी लोग सूचक के पिता को घसीटते हुए चौसा गंगापंप नहर मार्ग में रामायण राय डे के बोरिंग के पास लेकर चले गये। पंकज राय उर्फ बबलू राय सूचक के पिता के गले में रस्सी एवं अन्य कपड़ा से लपेट दिये तथा सुरेन्द्र राय मुॅह बंद कर दिये एवं डबलु राय तेजधार हथियार (चाकू) से दनादन गर्दन एवं पीठ पर मारने लगे। वे तबतक मारते रहे, जबतक सूचक के पिता जमीन पर गिर नहीं गये। जमीन पर गिरने से सूचक के पिता की गर्दन एवं पीठ से काफी खून गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को सूचक एवं उसके चाचा धनजी राम पीछे–पीछे जाकर देखे, परन्तु बोले नहीं।

प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध कथित घटना दिनांक 23.08.2017 की रात्रि 02:00 बजे जमीनी विवाद को लेकर सूचक के पिता स्व0 गुलाब राम को ले जाकर धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कर दिये जाने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कण्डिका–41 में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर की पर्वेक्षण टिप्पणी है, जिसमें वादी एवं साक्षियों द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को प्रस्तुत घटना में शामिल नहीं होने एवं निर्दोष होने की पुष्टि करते हुए बगैर सोचे–समझे व बगैर पढ़े एवं पढ़वाये फर्द–बयान पर दस्तखत कर दिये जाने की बात कही गई है। कण्डिका–43 में पुलिस अधीक्षक, बक्सर द्वारा भी उक्त आशय का प्रतिवेदन दिया गया है। कण्डिका–44 में सूचक का शपथ पर अंकित बयान है, जिसमें उसने आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त का कथित घटना में कोई हाथ न होने एवं कथित घटना को स्वयं अपनी ऑख से नहीं देखने तथा अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पिता की हत्या करने की बात कहा है। कण्डिका–46, 47, 48 एवं 59 में स्वतंत्र साक्षी बिनोद यादव, नागा पासवान, पप्पू शर्मा एवं भाईजी राम का बयान है, जिन्होंने भी आवेदक/अभियुक्तगण की निर्दोषिता के संबंध में कथन करते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक की हत्या किये जाने की बात का समर्थन किया है। कण्डिका–69 में अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को अनुप्रेषित दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन सं0–361/2017, दिनांक 12.12.2017 को अज्ञात के विरुद्ध सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2019 को मामले का संज्ञान औपचारिक रूप से लिया गया है और आवेदकगण की उपस्थिति हेतु जमानतीय अधि–पत्र दिनांक 28.02.2020 को जारी किया गया है। आवेदकगण की प्रस्तुत मामले में प्रथम उपस्थिति है। चूॅकि, आवेदकगण के विरुद्ध कोई सकारात्मक साक्ष्य वाद दैनिकी में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में वैश्विक महामारी कोविड–19 के आलोक में उत्पन्न विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अस्तु, जमानत आवेदन उपरोक्त मो0–20,000/–

लगातार :–

लगातार :–

26.06.2021 रुपये के बंध–पत्र एवं उतनी ही राशि के कुल दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदकगण मामले की अग्रिम नीयत तिथियों पर सदेह उपस्थित रहकर विचारण में सहयोग करेंगे और यदि अकारण दो तिथियों पर अनुपस्थित रहते हैं तो उनका बंध–पत्र स्वतः खण्डित समझा जायेगा। आवेदकगण इस आशय का वचन–पत्र भी दाखिल करेंगे कि वे बिना न्यायालय के अनुमति से अपने आवासीय स्थल से बाहर अथवा विदेश नहीं जायेंगे।

कोविड–19 महामारी के आलोक में जारी लॉक डाउन के दौरान यदि आवेदकगण जमानत बंध–पत्र दाखिल करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो न्यायालय उन्हें फिलहाल औपबंधिक रूप से 20,000/– रुपये के व्यक्तिगत बंध–पत्र पर मुक्त करेगी और लॉक डाउन समाप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत को संपुष्ट करेगी।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर